

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03062026-273106  
SG-DL-E-03062026-273106असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148]	दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2026/ज्येष्ठ 12, 1948	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 64
No. 148]	DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2026/JYAISHTHA 12, 1948	[N. C. T. D. No. 64

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 2 जून, 2026

फा. सं. बी/69/2025-गृह-II/1246-1254. — सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (केंद्रीय अधिनियम, 2000 का 21) की धारा 79 की उपधारा (3) के खंड (ख) के साथ पठित वर्ष 2025 में यथासंशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करते हैं:-

- अपर मुख्य सचिव (गृह)/प्रधान सचिव (गृह)/सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- संयुक्त आयुक्त पुलिस, आईएफएसओ, विशेष प्रकोष्ठ, राज्य नोडल अधिकारी के रूप में (इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस का संक्षिप्त रूप आईएफएसओ है)।
- संयुक्त आयुक्त पुलिस और अपर पुलिस आयुक्त, रेंज, आईएफएसओ, ईओडब्ल्यू, अपराध, विशेष प्रकोष्ठ, विशेष शाखा, आईजीआईए, रेलवे, मेट्रो और एसपीयूडब्ल्यूएसी।

– संबंधित क्षेत्राधिकार में रिपोर्ट किए गए मामलों से संबंधित जानकारी हटाने का नोटिस जारी करने और मध्यस्थ द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर संसाधन की सूचना, डेटा अथवा मौजूद या उससे जुड़े संचार लिंक के मामलों की सूचना देने के लिए जिनका उपयोग गैर –कानूनी कृत्य करने के लिए किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
रमेश कुमार, उप सचिव (गृह-II)

## HOME DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 2nd June, 2026

**F. No. B/69/2025-Home-II/1246-1254.**— In exercise of powers conferred by first proviso to clause (d) of sub-rule (1) of rule 3 of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 as amended in the year 2025, read with clause (b) of subsection (3) of Section 79 of the Information Technology Act, 2000 (Central Act 21 of 2000), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby authorizes the following officers:-

1. Additional Chief Secretary (Home)/ Principal Secretary (Home)/ Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi.
2. Joint Commissioner of Police, IFSO, Special Cell, as State Nodal Officer (IFSO being an acronym for Intelligence Fusion and Strategic Operations).
3. Joint Commissioners of Police and Additional Commissioners of Police of Ranges, IFSO, EOW, Crime, Special Cell, Special Branch, IGIA, Railways, Metro and SPUWAC.

- for issuing take down notice pertaining to cases reported in their respective jurisdiction and to notify the instances of information, data or communication link residing in or connected to a computer resource controlled by the intermediary being used to commit the unlawful act.

By the Order and in the Name of Lieutenant Governor  
of National Capital Territory of Delhi,

RAMESH KUMAR, Dy. Secy. (Home-II)